

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय स्टेट बैंक और इसके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जून 1983 के अंत तक खोली गई शाखाओं की संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े तथा और अधिक शाखाएँ खोलने के वास्ते उनके पास मौजूद प्राधिकार पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :

	खोली गई शाखाओं की संख्या	विचाराधीन प्राधिकार-पत्रों की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	6396	441
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1217	763

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों से विचाराधीन प्राधिकार-पत्रों का शीघ्रता से उप-योग करने के लिए कहा गया है।

स्टेट बैंक का चार क्षेत्रीय स्टेट बैंकों में विभाजन

831. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह स्टेट बैंक का उसके कार्य में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चार क्षेत्रीय स्टेट बैंकों में विभाजन करने पर विचार करेंगे ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बैंक का कार्य सुचारू रूप से चलाने की सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या बैंकलिक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार के पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि बैंक सुचारू रूप से और प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रहा है।

बैंकों में जमाकर्तियों को देय ब्याज की दरों में वृद्धि

832. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय जमाकर्तियों को देय ब्याज की दरों में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है जिसमें कि बैंकों में धनराशि जमा कराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके तथा जमाकर्तियों के हितों की रक्षा की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में समय-समय पर समीक्षा के लिए एक स्थायी कोष्ठ की स्थापना की जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मे (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त समायोजन करने के वास्ते वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज दर-ढांचे की बराबर समीक्षा की जाती है। जब भी आवश्यकता समझी जाती है दरों में प्रभावी परिवर्तन किए जाते हैं। चूंकि रिजर्व बैंक ब्याज-दर ढांचे की बराबर समीक्षा करता रहता है, इसलिए सरकार/रिजर्व बैंक के पास समय-समय पर ब्याज दरों की समीक्षा करने के लिए अलग से कक्ष (सैल) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Setting up of a Permanent Commission in Nationalised Banks to go Into Frauds in Granting Loans and Advances to Customers